
## संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल



एकल नस्ती कमांक अ-2-4/स्था./सर्वे/को.के./70-2015

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०- 20201/2015 द्वारा श्रीमती कुसुम पटेल पत्नि स्व० श्री डी0डी0 पटेल, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०-20201/2015 द्वारा श्रीमती कुसुम पटेल पत्नि स्व० श्री डी०डी० पटेल, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला-उमरिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है । आदेश की 10 स्वच्छ प्रतियां नीचे रखी है । प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत याचिका का प्रतिरक्षण करने हेतु विधि विभाग के माध्यम से शासकीय अधिवक्ता को निर्देश प्रसारित करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

उप सिवव, म०प्र० शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय, भोपाल ।

अपूर संचालक कृषि (स्थाo)

अलमीदनाय ।

क कारी कारी वाट के काउंस जारी क्र मिट्यान कार्डेझ हेर् विवा को मेपनाम सिस्ट्रिंग केट्री

STATE STATE

28-11-017/16/14-1

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल

एकल नस्ती कमांक अ-2-4/स्था./सर्वे/को.के./70-2015


विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०- 20201/2015 द्वारा श्रीमती कुसुम पटेल पत्नि स्व० श्री डी०डी० पटेल, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी विरूद्ध म०प्र० शासन व अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

29 2067. -

क्प्या प्रवे अएए-। में अनुमोरन किमे अनुसार प्रभारी- अल्मितारी की नियु कि समंदर्भ 3-गरेश की प्रतियां महोगा

€ C-N1842121 9231 €

अन्तर अनियाः) 50(स्पाः)



@

जब्बोस-२ सचिवालय

विषय: - मान्यका क्रमांद्र उन्तरु पी. 2020/15 रायर सीमरी कुसम परेल-बिरुद्दू म. प्रजासन एवं अन्म।

प्रने बलहरों.

मंभी हीरे



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 198115/2015

WP/20201/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur for Adm and Relief
Fixed for 25-01-2016
WP-DA-18
Respondent No. 3

To,

Deputy Director Agriculture Kisan Kalyan Tatha Krishi Vikas, Behind Colliery School Umaria, District- Umaria (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 12-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 20201/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Smt. Kusum Patel has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/20201/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 25-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

Your faithfully



## मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ-11/17 /2015/14-1

भोपाल, दिनांक 17-2-16

// आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक—5) आदेश सत्ताईस के नियम तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उमिरया, जिला—उमिरया, मध्यप्रदेश को (पक्षकारों के नाम) श्रीमती कुसुम पटेल पिल स्व0 श्री डी०डी० पटेल, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 20201/2015 में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- 1— प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाए गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपॉट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपॉट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- 2- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाए गये समस्त बिन्दुओं का पेरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिर्पोट तैयार करेगा ।
- 4- उक्त रिर्पोट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- 5— शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- 6- शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- 7- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोंट ।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ———प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिर्पोट में अपेक्षा की गई है ।
  - (घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए ।

- 8— मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रकम और प्रगति के लिये किए गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
  - मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित कियेगये किसी अंतिम आदेश 9— जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- 10— अपनी रिर्पोट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- 11— यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिर्पोट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- 12— जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- 13— प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा, तथा इस बाबत् के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- 14— प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपींट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपींट के साथ भेजी जाए ।
- 15— प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

B.

पृ०क0 एफ-11/17/2015/14-1 प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 17 2 16

- 1— कार्यालय महाअधिवक्ता, म०प्र० उच्च न्यायालय खंडपीठ, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
- 3- जिलाध्यक्ष, जिला-उमरिया, मध्यप्रदेश ।
- 4— प्रभारी अधिकारी— उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला उमरिया मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्तासे सम्पर्क करने और उपस्थित प्रमाण—पत्र प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपॉट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित । मामले की रिपॉट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे । मामले की सुनवाई तारीख ————हेतु नियत की गई है ।

5— शासकीय अधिवक्ता / प्लीडर / अभिभाषक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

- 6— संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, शहडोल संभाग शहडोल मध्यप्रदेश ।
- 7- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश ।
- 8- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर एकल नस्ती कमांक अ-2-4/स्था0/सर्वे/को.के./70-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9- आदेश नस्ती ।

अवैर सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

ani / 90